



राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

An ISO 9001:2008 Certified Agency



आदेश सं०:SHSB/GA/HR/2098/2016/.....

पटना, दिनांक:...../01/2019

-:आदेश:-

विज्ञापन सं० 09/2018 के तहत राज्य में स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा मुहैया कराने हेतु जनहित में सदर अस्पतालों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत विशेषज्ञ चिकित्सक-ENT के संविदागत पदों पर चयनित अधोलिखित अभ्यर्थियों को, उनके द्वारा योगदान करने की तिथि से स्तम्भ-7 में अंकित मानदेय पर नियोजित करते हुए उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-6 में अंकित सदर अस्पताल में पदस्थापन किया जाता है:-

क्र. सं.	रौल नं०	अभ्यर्थी का नाम	जन्मतिथि	पिता/पति का नाम	पदस्थापन अस्पताल	मानदेय/ प्रतिमाह (₹ में)
1	2	3	4	5	6	7
1.	18092032	DR. SWATI SUNEHA, MS	6 Oct 1988	GUNESHWAR DAS GULAB	सदर अस्पताल, सहरसा	1,00,000/-
2.	18092027	DR. SWATI MISHRA, DNB	3 Oct 1985	A N MISHRA	सदर अस्पताल, शेखपुरा	1,00,000/-
3.	18092034	DR. SHAHEEN ZAFAR, MS	19 Feb 1986	DR SYED MOHAMMAD AZFAR	सदर अस्पताल, वैशाली	1,00,000/-
4.	18092042	DR. BABAN KUMAR, MS	3 Dec 1984	NAND KUMAR SINGH	सदर अस्पताल, सारण	1,00,000/-
5.	18092014	DR. ADITI SINGH, MS	30 Jun 1987	ASHOK KUMAR SINGH	सदर अस्पताल, बेगूसराय	1,00,000/-
6.	18092001	DR. NIKHIL KUMAR, MS	3 Aug 1984	BINAY KUMAR SINGH	सदर अस्पताल, रोहतास	1,00,000/-
7.	18092003	DR. KHUSHBU RANI, MS	14 Jun 1988	LAXAMAN NARAYAN SINGH	सदर अस्पताल, मुजफ्फरपुर	1,00,000/-
8.	18092044	DR. MUKESH KUMAR SINGH, MS	4 Jan 1978	NANDAN SINGH	सदर अस्पताल, मुजफ्फरपुर	1,00,000/-
9.	18092039	DR. RAKHI KUMARI, MS	16 Feb 1984	NIRANJAN PRASAD SINGH	सदर अस्पताल, रोहतास	1,00,000/-
10.	18092025	DR. NEHA SINGH, MS	24 Aug 1985	KRISHNA KUMAR SINGH	सदर अस्पताल, पूर्वी चम्पारण	1,00,000/-
11.	18092018	DR. RAKESH KUMAR NIRALA, MS	5 Feb 1984	ARJUN PRASAD MAHTO	सदर अस्पताल, मुंगेर	1,00,000/-
12.	18092047	DR. DHEERAJ KUMAR, MS	25 Feb 1988	MAHENDRA THAKUR	सदर अस्पताल, गया	1,00,000/-
13.	18092011	DR. ABHINITI, MS	31 Dec 1982	ARUN KUMAR SINHA	सदर अस्पताल, शिवहर	1,00,000/-
14.	18092021	DR. AMIT PRAKASH, MS	21 Aug 1985	VIRESHWAR PRASAD	सदर अस्पताल, मधुबनी	1,00,000/-
15.	18092007	DR. ALOK KUMAR, MS	5 Jun 1991	UPENDRA PASWAN	सदर अस्पताल, पूर्णियाँ	1,00,000/-
16.	18092019	DR. HARSH VARDHAN, DNB	30 Aug 1981	HARISH KUMAR SINGH	सदर अस्पताल, बक्सर	1,00,000/-





राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



An ISO 9001:2008 Certified Agency

क्र. सं.	रौल नं०	अभ्यर्थी का नाम	जन्मतिथि	पिता/पति का नाम	पदस्थापन अस्पताल	मानदेय/ प्रतिमाह (₹ में)
1	2	3	4	5	6	7
17.	18092024	DR. TAUSIF AHMAD, MS	3 Feb 1987	SHAFI AHMAD	सदर अस्पताल, सुपौल	1,00,000/-
18.	18092029	DR. SAMRESH KASHYAP, MS	2 Apr 1983	SATYA NARAYAN SINGH	सदर अस्पताल, कैमूर	1,00,000/-
19.	18092022	DR. RENU KUMARI, DNB	18 Jan 1985	UMA SHANKAR PRASAD SHARMA	सदर अस्पताल, बक्सर	1,00,000/-
20.	18092002	DR. NISHANT KUMAR, MS	13 May 1988	JAI NARAYAN PATHAK	सदर अस्पताल, अररिया	1,00,000/-
21.	18092015	DR. MANOJ KUMAR, MS	5 Dec 1979	RAJ KISHOR PRASAD	सदर अस्पताल, नवादा	1,00,000/-
22.	18092031	DR. SHYAMAKANT PRASAD, DNB	3 Apr 1980	PRAYAG PRASAD	सदर अस्पताल, गोपालगंज	1,00,000/-
23.	18092005	DR. MD GAJANPHAR ALI, MS	13 Dec 1977	MD HIDAYAT ALI	सदर अस्पताल, बाँका	1,00,000/-
24.	18092017	DR. SARTAJ ALAM, DLO	15 Nov 1979	ABDUL HAKIM	सदर अस्पताल, गोपालगंज	90,000/-
25.	18092004	DR. KUMAR ANUPAM, MS	30 Jun 1978	UMESH KUMAR SAHA	सदर अस्पताल, मधेपुरा	1,00,000/-
26.	18092038	DR. CHANDRAKANT DIWAKAR, MS	1 Mar 1978	JAI PRAKASH PRASAD SINGH	सदर अस्पताल, लखीसराय	1,00,000/-
27.	18092036	DR. VIPIN KUMAR, DLO	6 Aug 1971	SRI SUMERU JAISWAL	सदर अस्पताल, कटिहार	90,000/-
28.	18092026	DR. CHAKRAPANI KUMAR, DLO	1 Jan 1978	KRISHNA PRASAD	सदर अस्पताल, औरंगाबाद	90,000/-
29.	18092043	DR. BADAL KUMAR, MS	2 Jul 1988	GOPAL SHARAN	सदर अस्पताल, अरवल	1,00,000/-
30.	18092033	DR. VIJAY KUMAR, MS	1 Jan 1979	HAZARI LAL CHOUDHARY	सदर अस्पताल, खगड़िया	1,00,000/-

2. उपर्युक्त सभी नवचयनित अभ्यर्थियों को निदेश दिया जाता है कि:-
- दिनांक 31.01.2019 तक उपरोक्त चिकित्सक अपने नाम के सामने स्तंभ-7 में अंकित पदस्थापन सदर (जिला) अस्पताल में अपना योगदान देना सुनिश्चित करें। उक्त तिथि तक योगदान नहीं देने की स्थिति में अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता समाप्त की जा सकती है।
 - योगदान के पश्चात् एकरारनामा करने के लिए, 1,000/- रुपये का Non Judicial स्टाम्प पेपर, NOC(यदि लागू हो, तो) एवं स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र (जो सिविल सर्जन/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के स्तर से निर्गत हो) के साथ, स्वयं दिनांक 05.02.2019 तक, प्रभारी, मानव संसाधन, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना के समक्ष उपस्थित होंगे, ताकि राज्य स्तर पर राज्य स्वास्थ्य समिति के साथ उनका एकरारनामा सम्पन्न हो सके।





राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



An ISO 9001:2008 Certified Agency

- iii. यदि सरकारी सेवा में है या किसी अन्य संस्थान में कार्यरत है अथवा अनुबंध पर कार्यरत है, तो उन्हें अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) जमा करना अनिवार्य है, अन्यथा उनके नियोजन का दावा रद्द कर दिया जाएगा।
 - iv. वैसे अभ्यर्थी, जो MD डिग्रीधारी हैं किन्तु MCI/BCMR में निबंधन नहीं करा पाए हैं उन्हें निदेशित किया जाता है कि संबंधित निबंधन नियोजन की तिथि से एक (01) माह के अंदर MD उपाधि का MCI/BCMR में निबंधन कराकर निबंधन प्रमाण-पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति मानव संसाधन कोषांग को समर्पित करे एवं मूल निबंधन प्रमाण-पत्र दिखावे अन्यथा उनका नियोजन रद्द कर दिया जायेगा।
 - v. यह नियोजन पूर्णतः संविदा के आधार पर 11 (ग्यारह) माह के लिए किया जायगा। नवनियोजित अभ्यर्थियों के संतोषप्रद कार्य के आधार पर अगले 03 (तीन) वर्ष तक या पदों की स्वीकृति, राशि की उपलब्धता होने तक (इनमें से जो भी पहले हो) अथवा सक्षम स्तर से निर्णय के अनुरूप संविदा अवधि का विस्तार राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के स्तर से किया जा सकेगा।
 - vi. चयनित अभ्यर्थियों का नियमितीकरण अथवा पुनर्नियोजन हेतु कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।
 - vii. पदस्थापन जिला में योगदान करने एवं प्रभार ग्रहण करने अथवा एकरारनामा करने के लिए राज्य स्वास्थ्य समिति आने-जाने के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
 - viii. सभी संबंधित नवचयनित अभ्यर्थियों के पूर्ववृत्त एवं शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्रों का सत्यापन करवाया जाना आवश्यक है। यह संविदागत नियोजन उक्त सत्यापन/जाँच प्रतिवेदन के फलाफल से प्रभावित होगा।
 - ix. उक्त विशेषज्ञ चिकित्सकों का नियोजन इस शर्त पर किया जाता है कि यदि उनके पूर्ववृत्त का सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिकूल होगा तथा प्रमाण-पत्रों एवं अभिलेखों के जाँच के क्रम में गलत सूचना पायी जायगी, तो उनका नियोजन बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दिया जायगा एवं उनके विरुद्ध आवश्यक विधि सम्मत कार्रवाई भी की जाएगी।
 - x. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधीन ENT के संविदागत पद हेतु सभी नवनियोजित अभ्यर्थियों को उपरोक्त तालिका के स्तम्भ-7 में अंकित एकमुश्त मानदेय प्रतिमाह का भुगतान FMR code-8.1.3.4 के तहत संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति/स्वास्थ्य संस्थान से किया जाएगा।
 - xi. उक्त विशेषज्ञ चिकित्सक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संचालित National Program for Prevention and Control of Deafness (NPPCD) कार्यक्रम का भी कार्य करेंगे।
3. सभी सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव/संबंधित स्वास्थ्य संस्थान के अधीक्षक/उपाधीक्षक नवचयनित अभ्यर्थियों के योगदान के तुरंत बाद, अस्पताल में रोस्टर ड्यूटी में नाम शामिल कराते





राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

An ISO 9001:2008 Certified Agency



हुए रोस्टर ड्यूटी के अनुरूप उनसे कार्य लेना प्रारंभ करें, ताकि जनहित में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करायी जा सके। उक्त अनुपालन की सूचना अनिवार्य रूप से मानव संसाधन कोषांग के E-Mail ID: shsbhrcell@gmail.com पर भेजना सुनिश्चित करेंगे।

ह०/-

(लोकेश कुमार सिंह)

ज्ञापक: 6907

पटना, दिनांक: 08/01/2019

- प्रतिलिपि:** प्रधान सचिव, स्वास्थ्य-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ।
- प्रतिलिपि:** अपर कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ।
- प्रतिलिपि:** सभी संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति/क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार/सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति/अधीक्षक/उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:** प्रशासी पदाधिकारी/उप सचिव-सह-प्रभारी, मानव संसाधन/अपर निदेशक, वित्त/वित्त प्रबंधक/राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी/राज्य कार्यक्रम प्रबंधक/राज्य लेखा प्रबंधक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:** सिस्टम एनालिस्ट-सह-डाटा ऑफिसर, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं समिति के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:** सभी संबंधित नवचयनित अभ्यर्थियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। यह आदेश राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के अधिकृत वेबसाइट www.statehealthsocietybihar.org पर भी देखा जा सकता है एवं डाउनलोड कर इसे व्यवहार में लाया जा सकता है।

कार्यपालक निदेशक

